देहरादून में आयोजित भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण

18 दिसम्बर, 2019

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोक सभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होने के बाद इस मंच की यह मेरी पहली बैठक है। आप सब की सक्रिय भागीदारी से इस सम्मेलन की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1921 में अपनी स्थापना के समय से ही भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने नए विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान और विमर्श के लिए एक मंच प्रस्तुत किया है।

शुरू से ही पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं कि पूरे देश में विधानमंडल अपने आपको बदलते समय के अनुरूप ढाल सकें।

उत्तराखंड विधान सभा पहली बार राजधानी देहरादून में इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उत्तराखण्ड जहां एक ओर अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य की धरती है वहीं दूसरी ओर इसे देवभूमि भी कहते हैं। यह गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों की उद्गम स्थली है जो समस्त देशवासियों की आस्था एवं श्रद्धा का केन्द्र है। इस राज्य के लोग पूरे देश में अपनी सादगी, गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार के लिए जाने जाते हैं।

मैं इस ऐतिहासिक और सुंदर शहर देहरादून में इस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए उत्तराखंड विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और सम्मेलन की अच्छी व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिए विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं।

आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन कुछ सहयोगी पीठासीन अधिकारियों और विशिष्ट व्यक्तियों का उल्लेख करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। विगत वर्षों में हमने ऐसे प्रसिद्ध नेताओं और संसदविदों को खोया है जिन्होंने भारत की राजनीति और लोकतंत्र में असाधारण योगदान दिया है।

श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय श्री सोमनाथ चटर्जी, माननीय श्री अनंत कुमार, माननीय श्री मनोहर पर्रिकर, माननीया श्रीमती सुषमा स्वराज और सर्वप्रिय श्री अरुण जेटली जी ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया है और उनका निधन वास्तव में राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। उन सभी गुणीजनों की दूरदर्शिता तथा राजनीति की व्यापक जानकारी एवं समझ के कारण उन्हें सभी विचारधारा के लोगों का सम्मान और आदर मिला। हम सभी पुण्यात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

मैं इस अवसर पर उन दिवंगत विशिष्ट सहयोगियों का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहता हूँ जो कभी न कभी इस पीठासीन अधिकारी परिवार के सदस्य रहे और उनका निधन जनवरी, 2016 में गांधीनगर में आयोजित पिछले सम्मेलन के बाद हुआ है। हमारे विधान मंडलों के लिए उनका योगदान अमूल्य रहा है।

इसके बाद मैं यहां पधारे सभी प्रतिष्ठित पीठासीन अधिकारियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जिन्होंने गांधीनगर में आयोजित पिछले सम्मेलन के बाद कार्यभार संभाला है। मैं आप सभी लोगों की ओर से और अपनी ओर से इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में हमारे परिवार का हिस्सा बनने पर हर नए पीठासीन अधिकारी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने उन सहयोगियों की भी सराहना करता हूं जो अब पीठासीन अधिकारी नहीं हैं किंतु जिन्होंने हमारे सम्मेलन के लिए अमूल्य योगदान दिया है।

साथियो! जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई, 2019 को 16वीं लोक सभा के विघटन से पूर्व 11 अप्रैल से 19 मई, 2019 तक सात चरणों में 17वीं लोक सभा के गठन के लिए देश में आम चुनाव हुए। आम चुनावों का सफल संचालन, जो विश्व में सबसे बड़ा चुनावी कार्य है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र में हमारे देश की जनता के दृढ़ विश्वास का प्रमाण है। इन चुनावों में अब तक सर्वाधिक 67.40 प्रतिशत मतदान हुआ और जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर लोकतंत्र के मंदिर, भारत की संसद में भेजा।

तत्पश्चात्, भारत के राष्ट्रपति ने 17वीं लोक सभा की बैठक दिनांक 17 जून, 2019 को आहूत की थी। सभा ने 19 जून, 2019 को सर्वसम्मति से 17वीं लोक सभा का अध्यक्ष चुनकर मुझे सदन चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी।

पीठासीन अधिकारी की सदन के कुशल संचालन और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यक्ष का लक्ष्य सदैव यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी परिस्थितियों में संसदीय मर्यादा बनाए रखी जाए। पीठासीन अधिकारियों को नियमों के अंतर्गत अनुशासन संबंधी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं परंतु सभा चलाने के लिए पक्ष-प्रतिपक्ष सभी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है।

वर्तमान लोक सभा के पहले दो सत्रों में मैंने संसद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए उच्च मानदंडों को निर्धारित किया है ताकि सभा व्यवस्थित ढंग से चले और अधिक से अधिक कार्य सम्पादित किया जा सके। इस कार्य में मुझे काफी हद तक सफलता भी मिली है।

अध्यक्ष के रूप में विभिन्न दलों के सदस्यों को पर्याप्त समय और अवसर उपलब्ध कराना वास्तव में एक चुनौती है। सभा की कार्यवाही सुचारु रुप से चले और इसकी कार्य उत्पादकता में सुधार हो, इसके लिए पक्ष-विपक्ष दोनों का सहयोग आवश्यक है। सभा के अध्यक्ष के रूप में हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि सदन सिर्फ सरकारी विधायी कार्यो एवं वित्तीय स्वीकृति का मंच न रह जाए बल्कि यह सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन के रूप में कार्य करें।

मेरे अब तक के कार्यकाल में लोक सभा के पिछले दो सत्रों में सदन की उत्पादकता क्रमश: 125 और 115 प्रतिशत रही और यह सभी राजनीतिक दलों के रचनात्मक सहयोग से ही संभव हो सका।

यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते संसद और विधान मंडलों में जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप सभी सांसद और विधायक कार्य करें और वे अपने अपने संसदीय एवं विधान सभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को पुरजोर तरीके से संसद और विधान मंडलों में रखें ताकि सरकार उन पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य हों।

इसलिए मैंने लोक सभा में अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए प्रश्नकाल और शून्य काल को विशेष महत्व दिया है।

मैंने सदैव यह प्रयास किया है कि प्रश्न काल में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। इसका परिणाम यह रहा है कि पिछले दो सत्रों में औसतन 7.5 प्रश्नों के उत्तर प्रतिदिन दिए गए। 27 नवम्बर, 2019 को सभा में सभी 20 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में 265 नवनिर्वाचित सदस्यों में से लगभग सभी को शून्यकाल के दौरान अथवा सभा के किसी अन्य कार्य के दौरान सभा में अपनी बात रखने का अवसर दिया गया।

सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सदस्य लोक महत्व के मुद्दे भी सदन में पूरी गंभीरता और तत्परता से उठा सकें।

सरकारी विधेयकों पर भी पक्ष और प्रतिपक्ष, सबकी बात सदन में रखी जा सके, यह अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। हमें छोटे छोटे दलों और बिना दल के प्रतिनिधियों की आवाज को भी पर्याप्त एवं समुचित स्थान देना होगा, तभी लोकतंत्र जीवंत रहेगा।

जनहित के मामलों में वाद - विवाद हो, चर्चा हो, सहमति -असहमति भी रहे, मगर सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। विरोध में भी गतिरोध ना हो, यही विधायिका की मर्यादा है और यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है।

सभा में डिबेट, डिस्कशन और डिसेंट तीनों का स्थान है परंतु डिसरप्शन (व्यवधान) का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। डिसरप्शन से लोकतंत्र की मूल आत्मा पर आघात पहुंचता है क्योंकि डिसरप्शन से किसी के बोलने का कीमती अधिकार छीना जाता है।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लोक सभा के हमारे पहले सत्र के दौरान व्यवधान के कारण कोई समय बर्बाद नहीं हुआ।

सदन में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए हमें संसद सदस्यों को, विशेषकर, नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय नियमों एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य से संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान (PRIDE) ने सत्रहवीं लोक सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया। 17वीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में जानकारी देने के लिए ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए गए ताकि विधायी मामलों के बारे में संसद सदस्यों को पर्याप्त जानकारी हो।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं – ई – संसद और ई – विधान की अवधारणा से प्रेरणा लेते हुए संसद में डिजिटलीकरण का काम चल रहा है। भारत की संसद में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बहुत हद तक पहले से ही किया जा रहा है ताकि दोनों सभाओं को अधिक पारदर्शी, जनसुलभ, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जा सके।

ई – संसद और पेपरलेस प्रणाली की दिशा में हमारी पहल में अन्य बातों के साथ – साथ संसद सदस्यों के लिए ई - पोर्टल, ऑन लाइन संदर्भ सेवा और ई - ऑफिस प्रणाली उपलब्ध कराए गए हैं। सदस्यों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर की तर्ज पर एक सूचना केन्द्र स्थापित किया गया है जिससे सदस्यों को संसदीय कार्यवाही के साथ-साथ अन्य सुविधाओं की तात्कालिक सूचना उपलब्ध हो सके। अब हम आधुनिकीकरण के प्रयासों के भाग के रूप में सभा कक्ष में टेबलेट या लैपटॉप का उपयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं।

ऐसा पता चला है कि हमारे कुछ राज्यों ने भी अपने विधान मंडलों में डिजिटलाइजेशन की दिशा में बहुत अच्छी प्रगति की है। फिर भी, हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि दिनांक 28 अगस्त, 2019 को मेरी अध्यक्षता में नई दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी जिसमें हुए निर्णय के अनुसार मैंने तीन महत्वपूर्ण विषयों पर समितियों का गठन किया था -

पहला, विधान मंडलों के कार्यकरण में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का मूल्यांकन करने तथा सुझाव देने हेतु समिति जिसके सभापति असम विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री हितेन्द्र नाथ गोस्वामी हैं,

दूसरा, सभा के सुचारू कार्यकरण संबंधी मामले को देखने हेतु समिति, जिसके सभापति उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, और

तीसरा, विधान मंडल सचिवालयों की वित्तीय स्वतंत्रता के मामले की जांच हेतु समिति, जिसके सभापति राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सी.पी. जोशी जी हैं।

ये तीनों समितियां इन महत्वपूर्ण विषयों पर सिफारिशों सहित अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

अब मैं इस 79वें सम्मेलन में चर्चा के लिए चुने गए विषयों का उल्लेख करना चाहता हूं। इनमें पहला और बहुत ही प्रासंगिक विषय है – 'संविधान की दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की भूमिका'। जैसा कि आप सब जानते हैं, संविधान की दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर संसद अथवा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की निरर्हता (disqualification of Members) के बारे में उपबंध किए गए हैं। अनुसूची के अनुसार इस प्रश्न का निर्णय प्रत्येक सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि सभा का कोई सदस्य निरर्हित हो गया है अथवा नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है।

मैं समझता हूं कि दल परिवर्तन से लोकतंत्र के आधार और इसके सिद्धांतों पर ही कुठाराघात होता है। दल परिर्वतन से संबंधित विशयों पर अध्यक्षपीठ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है।

परंतु पीठासीन अधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही टिप्पणी एक गंभीर चिंता का विशय है। इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा एवं विचार - विमर्श होना चाहिए ताकि अध्यक्ष पद की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहे। साथ ही, मेरा यह मानना है कि इन मुद्दों पर निर्णय लेते समय हमें अपनी अध्यक्षीय मर्यादा का पालन करना चाहिए।

चर्चा का एक और महत्वपूर्ण विषय है – 'शून्य काल सहित सभा के अन्य साधनों के माध्यम से संसदीय लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण'।

शून्य काल जनता के प्रतिनिधियों के पास एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वे अविलंब जनता की बातों एवं समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रख सकते हैं। शून्य काल में सदस्य ऐसे मामले उठा सकते हैं जिन्हें वे अविलंबनीय लोक महत्व का मामला मानते हैं और जिन्हें सामान्य प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत उठाने में होने वाले विलंब से वे बचना चाहते हैं।

मेरा यह मानना है कि हमें सभी सांसदों और विधायकों को शून्य काल में अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए हमें शून्य काल का समय भी बढ़ाना चाहिए ताकि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का मौका मिले।

इनके अलावा, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण सूचना, अल्पकालीन चर्चा, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प जैसे विभिन्न अन्य साधनों और अनेक अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से आम जनता के हित के अथवा अविलंबनीय लोक महत्व के विशिष्ट मामले उठाए जा सकते हैं और इन पर चर्चा की जा सकती है।

मेरा यह मानना है कि इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए कि लोक सभा और विधान सभा की कार्यवाही को चलाने के नियमों में एकरूपता लायी जाए। हालांकि विधान सभा और लोक सभा की अपनी-अपनी स्वायत्तता है। परंतु हमारा मकसद एक है और वह है लोकतंत्र का सशक्तीकरण।

डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था -

"दायित्वों का दैनिक आकलन आवधिक आकलन से कहीं अधिक प्रभावी और भारत जैसे देश में कहीं अधिक आवश्यक है।" उनके इस कथन से हम यह सीख ले सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को सशक्त और जीवन्त बनाए रखने के लिए हम जनप्रतिनिधियों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के प्रति सदैव सजग रहना होगा।

अब समय आ गया है कि आजादी के 75वें वर्ष में लोक सभा और विधान सभा, लोकतंत्र के स्तम्भों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए मिलकर कार्य करें।

राज्य विधानमंडलों को अपने कामकाज में 'प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद' के मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए। हमारा नारा होना चाहिए-

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुखभाग्भवेत् ।"

(अर्थात् सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी कल्याण के मार्ग पर चलें, किसी को कोई कष्ट न हो)

इन्हीं शब्दों के साथ, भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का उदघाटन करते हुए मैं आप सबको शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि चर्चा के दौरान हम सबको विधान मंडलों में अपनायी गई अच्छी पद्धतियों के बारे में जानकारी मिलेगी।